an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs laid a statement regarding Government Business during the week commencing the 27th March, 2017 and submissions made by Members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Hon. Madam, I beg to lay the *statement regarding Government Business during the week commencing the 27th March, 2017.

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - *[**it contains consideration and passing of the Mental Health Care Bill, 2016, as passed by Rajya Sabha.**]*

2. Consideration and passing of the following Bills: -

(a) The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.

(b) The Indian Institutes of Management Bill, 2017.

(c) The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2016.

(d) The Footwear Design and Development Institute Bill, 2017.

(e) The Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017.

(f) The Repealing and Amending Bill, 2017.

3. Consideration and passing of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2014, as passed by Rajya Sabha.

4. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha to the Employees Compensation (Amendment) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाये।

1. उपेक्षित वर्ग को अद्वितीय रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले राÂष्ट्रनिर्माता डॉ. भीम राव अम्बेडकर का विजन, आधुनिक विश्व इतिहास का महानायक सुभाÂष चन्द्र बोस, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के उज्ज्वल स्वरूप का सपना देखा था तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अहम् स्थान रखने वाले चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह का देश के लिए दिये गये बलिदान को दÂिष्टगत रखते हुए इन महापुरुÂषों के जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस घोषित करते हुए राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु सख्त नियम बनाया जाये।

2. देश की पहली महिला अध्यापक-सह-नारी मुक्ति आन्दोलन की पहली नेता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने पति क्रांतिकारी नेता ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोलकर सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति बन्धन को तोड़ने के साथ-साथ उन्नीसवीं सदी में छुआ-छूत, सती प्रथा, बाल-विवाह और विधवा विवाह निÂषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अपने पति के साथ मिलकर काम किया एवं उनका पूरा जीवन समाज में वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघÂर्ष में बीता। ऐसे उच्च विचार रखने वाली महान् महिला की जीवनी को देश भर के स्कूलों में कक्षा छः तक के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए सख्त विधि नियम बनाया जाये।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाये।

अहमदाबाद स्थित चाणस्मा से वाया हरीश से रुदनपुर 63 कि.मी. की सड़क को ब्रॉडगेज निर्माण कर कच्छ तक जोड़ना चाहिए व नई रेल लाइन का निर्माण करना चाहिए, जिससे जनता को यातायात में सुविधा हो। चूंकि यह पाकिस्तान बार्डर से समीप है, अतः यह सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह, दिनांक 27.3.17 से 31.3.17 की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को शामिल करने की कृपा करें।

मैं झारखंड राज्य के धनबाद लोक सभा के कुछ मुख्य बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हं। इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स को अभी हाल ही में आई.आई.टी. का दर्जा मानव संसंधान विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुआ है। यहां इस्पात मंत्रालय का बोकारो इस्पात प्लांट भी स्थित है और धनबाद कोयला नगरी कोयलांचल के रूप में सुप्रसिद्ध है। परन्तु मैं बहुत ही खेद के साथ यह बताना चाहता हूं कि यहां खेल-कूद के विषय में यदि सोचा जाये तो धनबाद लोक सभा में एक भी उच्चस्तरीय खेल अकादमी एवं उच्चस्तरीय खेल स्टेडियम के साथ-साथ उच्चस्तरीय प्रशिक्षकों की बहुत ही कमी है, जिससे कि यहां के खिलाड़ियों के कौशल विकास पर अंकुश जैसे लगा हुआ है। यहां बहुउद्देशीय स्टेडियम न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहां के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों में भाग नहीं ले पाते हैं। धनबाद लोक सभा के खिलाड़ियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। किन्तु उचित मार्गदर्शन, उच्चस्तरीय खेल अकादमी एवं उच्चस्तरीय खेल स्टेडियम के साथ-साथ उच्चस्तरीय प्रशिक्षकों की कमी के कारण धनबाद के प्रतिभावान खिलाड़ी देश के अन्य राज्यों व जिलों से पिछड़ रहे हैं।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसंदीय क्षेत्र धनबाद में उच्चस्तरीय खेल अकादमी, उच्चस्तरीय खेल स्टेडियम के निर्माण के साथ-साथ उच्चस्तरीय प्रशिक्षकों की पद नियुक्ति कराने का कÂष्ट करें, जिससे धनबाद में रह रहे प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी देश, समाज की धारा में शामिल होने का अवसर मिल सके।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र से सम्बंधित निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए:

1. जनपद कानपुर नगर एवं कानपुर देहात की भौगोलिक स्थिति बुंदेलखंड के समान होने के उपरान्त भी दोनों जनपदों को बुंदेलखंड जैसी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। आपसे आग्रह है

कि उक्त दोनों जनपदों को भी बुंदेलखंड जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर में पीने के पानी की विकट समस्या है, जिसके कारण आम जनमानस के लिए काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पीने के पानी की समस्या को देखते लगभग 500 इंडिया मार्का हैंडपंप लगवाये जाने की महती आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष: श्री गौरव गोगोई - उपस्थित नहीं।

श्री लक्ष्मण गिलुवा - उपस्थित नहीं।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र ।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र से सम्बंधित निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

मेरे यहां चित्रकूट धाम स्थित पवित्र तीर्थस्थल के क्षेत्र उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में दो भागों में बंटे हैं। अस्तु, उक्त दोनों भागों के तीर्थस्थलों को दोनों प्रदेशों द्वारा आवागमन के लिए फ्री जोन घोषित किया जाए, जिससे तीर्थयात्रियों को सुविधा मिल सके।

1. चित्रकूट धाम स्थित पवित्र मंदाकिनी नदी में नर्मदा के जल को मझगवाँ के पास से लाकर मिलाया जाए, जिससे इस पौराणिक एवं पवित्र नदी के जल स्तर में वृद्धि हो सके और तीर्थयात्री एवं क्षेत्रवासी इससे लाभान्वित हो सकें।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Hon. Speaker Madam, I would request you to include the following matters in the next week's business:

On 15th March, there was a *dharna* conducted by Delhi Union of Working Journalists as well as Newspaper Employees Federation of India. My submission is that there is no tripartite agreement in the media sector of India, neither in the print media nor in the visual media. So, in order to protect the journalists, only a report of the Wage Board is placed and there is no compulsion on the management to implement the Wage Board report. We all know that the period of Majithia Wage Board has already expired. Hence, I urge upon the Government of India to constitute a new Wage Board and also include the journalists working in visual media, because they are presently outside the purview of the Wage Board. They should also be included in the ambit of the Working Journalists Act which was enacted by the Parliament of India.

My second submission is regarding the headload workers and the ancillary labourers working in Food Corporation of India. There have been rampant complaints regarding transfers of headload workers and ancillary labourers under the direct payment system of the Food Corporation of India. Many of the ancillary workers are aged women; they have been transferred hundreds of kilometres away from the place where they usually work. They are not permanent employees of Food Corporation of India. We have to ensure equal pay for equal work in the FCI as reminded by the hon. Supreme Court of India. There should be a sufficient and fruitful scheme for the workers also.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र से सम्बंधित निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेÂष सहायता विभाग के सचिव द्वारा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को पिछड़े वर्ग के लिए केन्द्र की ओर से वर्ष 2001-02 से वर्ष 2013-14 तक के बीच की अवधि की बकाया 1392.61 करोड़ रुपये की रीइम्बर्समेंट राशि को जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं। उक्त राशि को जारी किए जाने हेतु 29 रिमाइंडर लेटर्स भी प्रेषित किए गए हैं। लम्बित बकाया राशि को शीघ्र जारी किए जाने से सम्बंधित विÂषय।

2. महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2013 एवं 23 दिसम्बर, 2013 में केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को ग्रेटर मुम्बई के सी.आर.जेड. के अधीन क्षेत्रों में झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों में संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। इस बारे में राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव के साथ दिनांक 7 नवम्बर, 2013 को वार्ता भी की थी। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन दिनांक 6 जनवरी, 2011 में संशोधन किए जाने से सम्बंधित विषय।

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Madam, the population of Delhi in 2021 will be around 2.36 crores for which 16 lakh residences and around 35 million square feet workspaces are to be created. To achieve this, the Master Plan Delhi 2021 was notified on 7th February, 2007; the Delhi Land Pooling Policy was notified by the Urban Development Ministry on 5th September, 2013, and regulations for its implementation were notified on 26th May, 2015. Now, development area has to be notified under Delhi Development Act, 1957 and 89 villages are to be notified as urban villages under Delhi Municipal Act, 1957. Investment of more than US $ 6 billion is stuck due to this and unscrupulous financial and development companies have collected more than Rs. 1,000 crore from unsuspecting consumers. It is necessary that the Ministry of Urban Development and the Government of NCT of Delhi create a consensus for implementing the Land Pooling Policy. आई.ए.ए.एस. ट्रेनिंग सेंटर पंत छात्रावास, इलाहाबाद विश्व विद्यालय, इलाहाबाद में 1958 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अभ्यार्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षित करने हेतु स्थापित किया गया था। यहां से लगभग 2500 आई.ए.एस., पी.सी.एस. अधिकारी पूरे देश के लिए चयनित हुए हैं। 1998 के बाद से न तो विश्वविद्यालय प्रशासन और न ही मंत्रालय यहां के कर्मचारियों को अपना कर्मचारी मान रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से मैं मांग करता हूं कि इस संस्थान को इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से हटाकर सीधे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के किसी विभाग के अधीन कर दिया जाए और सरकारी कर्मचारियों की तरह इसके कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाएं, प्रशिक्षण लेने वाले अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को पूर्व की भांति नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं रहने व खाने की सुविधा मुहैया करायी जाए। तत्काल उपरोक्त संस्थान में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए ग्रांट को निरस्त करते हुए प्रवेश प्रक्रिया को रोका जाए और मंत्रालय से सीधे अनुदान देकर निशुल्क प्रवेश दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात हो गयी। सबमिशन के लिए सभी लोग यह बात ध्यान में रखिए कि केवल दिया हुआ विषय ही पढ़कर सुनाना है। लम्बा-चौड़ा भाÂषण उसमें नहीं देना है।

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour' – Dr. P. Venugopal.

...(*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैडम, मेरा एडजर्नमेंट मोशन है,...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow you later. Please take your seat.

...(*Interruptions*)